विधान परिषद प्रथम सत्र 2023 के प्रथम सोमवार हेतु निर्धारित श्री अशोक अग्रवाल, मा0 सदस्य विधान परिषद द्वारा पूछे गये तारांकित प्रश्न संख्या-16 का उत्तर।

प्रश्न	**उत्तर**
16(क) क्या मुख्य मंत्री बतायेंगे कि राजधानी लखनऊ के चारों ओर से अयोध्या, कानपुर, सुल्तानपुर, रायबरेली व सीतापुर, हरदोई को जोड़ने वाले निर्माणाधीन आउटर रिंग रोड/किसान पथ के दोनों ओर आधा किलो मीटर की परिधि में आने वाली किसानों की खाली पड़ी भूमि को अधिग्रहीत करने हेतु लखनऊ विकास प्राधिकरण/आवास विकास की बोर्ड बैठक में माह दिसम्बर, 2022 में भूमि अधिग्रहण का प्रस्ताव पास कर भूमि अधिग्रहण की मंजूरी प्राप्त हो गयी है?	जी हाँ। आउटर रिंग रोड/किसान पथ के दोनों तरफ 500 मीटर की दूरी तक एवं अंसल ए0पी0आई0 द्वारा छोड़ी गयी भूमि का सुनियोजित विकास करने हेतु उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद के माध्यम से भूमि अधिग्रहण किये जाने का प्रस्ताव लखनऊ विकास प्राधिकरण की 176वीं बोर्ड बैठक दिनांक 01.12.2022 में विषय संख्या-176/4 पर प्रस्तुत प्रस्ताव बोर्ड द्वारा अनुमोदित किया गया है।
(ख) यदि हाँ, तो क्या भूमि अधिग्रहण का उक्त प्रस्ताव लखनऊ विकास प्राधिकरण/ आवास विकास द्वारा आवास विभाग, उ0प्र0 शासन को सहमति/स्वीकृति हेतु भेजा गया है?	लखनऊ विकास प्राधिकरण बोर्ड से पारित उक्त प्रस्ताव शासन को प्रेषित नहीं किया गया है।
(ग) यदि हाँ, तो उक्त प्रस्ताव की कार्य योजना क्या है तथा अधिग्रहीत भूमि का उपयोग किस प्रयोजन में लिया जाना है?	उपरोक्त बिन्दु (क) के अनुसार।
(घ) क्या जनहित एवं किसानों के हित में निर्णय लेकर अधिग्रहण परिधि में आने वाले आवासीय परिसर गांव/आवासीय भवन/भूखण्ड जो आवासीय है एवं धारा 143/80 (आवासीय) घोषित है किसानों को बेघर होने से बचाने हेतु सर्वे कराकर उक्त अधिग्रहण सीमा में आने वाले गांवो/आवासीय भवनों/भूखण्डों को अधिग्रहण सीमा से मुक्त रखे जाने पर सरकार विचार करते हुए नीतिगत निर्णय करेगी?	''भूमि अर्जन, पुर्नवासन एवं पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013'' की व्यवस्थानुसार कार्यवाही की जायेगी।
(ङ) यदि नहीं, तो क्यों ?	प्रश्न नहीं उठता।

योगी आदित्यनाथ
मुख्यमंत्री।